ernment of India and the same will be laid on the Table of the Sabha.

*231. *[Transferred to the list August,* 1972.

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लागू किया जाना

232. **श्री नवल किशोर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में परिवीक्षा सेवाओं समरूपता लाने की दृष्टि से, एक केन्द्रीय अधिनियम, अर्थात् अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 पहले से ही 13 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक अपने राज्य में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 को लागू नहीं किया है; और अपने परिवीक्षा अधिकारियों को फालतू घोषित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और अधिनियम को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

'^APPLICATION OF PROBATION OF OFFENDERS ACT, 1958

*232. SHRI NAWAL KISHORE: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that with a view to bring uniformity in the probation ser vices throughout the country, a Central Act *viz.* Probation of Offenders Act, 1958 has already been made applicable to 13 States and 6 union territories;

(b) whether it is a fact that the Gov ernment of Uttar Pradesh have not so far made applicable the Probation of Offenders' Act, 1958 in their State; and have declared their probation officers surplus; and

(c) if so, the reasons therefor, and the steps being taken by Government to make the Act applicable to the State of Uttar Pradesh ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 एक व्यापक केन्द्रीय अधिनियम के रूप में बनाया गया था जो देश भर में अपनाए जाने हेतु उपलब्ध है।

(ख) तथा (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी (परिवीक्षा) अधिनियम, 1938 उत्तर प्रदेश में लागू है। खर्च में किफायत करने के लिए कुछ परिवीक्षा अधिकारियों को 1967 में फालतू घोषित कर दिया गया था।

केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को उस राज्य में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 को अपनाने के लिये मना रही है।

f[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. S. RAMASWAMY): (a) The Probation of Offenders Act, 1958 was enacted as a comprehensive Central Act available for adoption throughout the country.

(b) and (c): Yes, Sir. The Uttar Pradesh First Offenders (Probation) Act, 1938 is enforced in Uttar Pradesh. On grounds of economy some probation officers were declared surplus in 1967.

The Central Government is persuading the Government of Uttar Pradesh to adopt the Probation of Offenders Act, 1958, in that State.]

PRODUCTION OF CEREALS

*233. SHRI YOGENDRA SHARMA:
DR. Z. A. AHMAD;

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the U.S.A. Congressional investigators have said that India will not reach self sufficiency in food production on

1[ ] English translation.